भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2535

16.12.2025को उत्तर के लिए नियत

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी

2535. **श्री दीपक अधिकारी (देव):**

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पांच वर्षों में वाहनों से होने वाले उत्सर्जन और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्थापित करने और उसे सुगम बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या पहल की गई हैं; और

(ख) देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के अनुकूल बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सरकार द्वारा कितनी धनराशि आवंटित की गई है और कितनी राशि खर्च की गई है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क): पिछले पांच वर्षों में, सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी तंत्र स्थापित करने और उसे वाहनों से होने वाले प्रदूषण और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने हेतु बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्नांकित स्कीमें लागू की हैं:-

(i) **भारत में इलेक्ट्रिक (और हाइब्रिड) वाहनों के तीव्र अंगीकरण और निर्माण (फ़ेम इंडिया)स्कीम:** फ़ेम इंडिया स्कीम का द्वितीय चरण 5 वर्ष की अवधि यानी 01.04.2019 से 31.03.2024 तक 11,500 करोड़ रूपए के परिव्यय के साथ लागू किया गया था। इस स्कीम के तहत कुल 16,71,606 लाख ईवी बेचे गए हैं और 6,862 ई-बसों को मंज़ूरी दी गई है। इसके अलावा, 3 तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने 8,932 ईवी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन (ईवीपीसीएस) संस्थापित किए हैं।

(ii) **भारत में ऑटोमोबिल और ऑटो घटक उद्योग)पीएलआई-ऑटो) के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन)पीएलआई) स्कीम:** सरकार ने 23.09.2021 को भारत में ऑटोमोबिल और ऑटो घटक उद्योग के लिए इस स्कीम को 25,938 करोड़ रूपए के बजटीय परिव्यय के साथ उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी (एएटी) उत्पादों के लिए भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए मंजूरी दी। यह स्कीम न्यूनतम

50% घरेलू मूल्यवर्धन (डीवीए) के साथ एएटी उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और ऑटोमोटिव विनिर्माण मूल्य शृंखला में निवेश आकर्षित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है।

(iii) **उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम संबंधी उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम:** सरकार ने 12.05.2021 को 18,100 करोड़ रूपए के बजटीय परिव्यय के साथ देश में एसीसी के निर्माण के लिए पीएलआई स्कीम को मंजूरी दी। इस स्कीम का लक्ष्य 50 गीगावॉटघंटा एसीसी बैटरी के लिए एक प्रतिस्पर्धी घरेलू विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है।

(iv) **पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इन्नोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) स्कीम:** यह स्कीम 10,900 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 01.04.2024 से लागू किया जा रहा है। इस स्कीम का उद्देश्य, ई-दुपहिया, ई-तिपहिया, ई-ट्रक, ई-बस और ई-एम्बुलेंस सहित इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ ही ईवी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन और परीक्षण एजेंसियों के उन्नयन का समर्थन करना शामिल है।

(v) **पीएम ई-बस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) स्कीम:** 28.10.2024 को अधिसूचित इस स्कीम का परिव्यय 3,435.33 करोड़ रूपए है और इसका उद्देश्य 38,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती का समर्थन करना है। इस स्कीम का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरण (पीटीए) द्वारा चूक करने की स्थिति में ई-बस संचालको को भुगतान सुरक्षा प्रदान करना है।

(vi) **भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के निर्माण को बढ़ावा देने की स्कीम (एसपीएमईपीसीआई):** यह स्कीम 15.03.2024 को भारत में इलेक्ट्रिक कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए अधिसूचित की गई थी।

(ख): देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए चार्जिंग अवसंरचना करने हेतु सरकार द्वारा आवंटित निधि का विवरण और खर्च की गई राशि इस प्रकार है: -

(राशि करोड़ रुपए में)

स्कीम	शीर्ष	आवंटित निधि	व्यय की गई राशि
फ़ेम-II	ईवीपीसीएस	912.50	633.44
पीएम ईड्राइव-	ईवीपीसीएस	2,000	-

****